भीम BhIM

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.11(9)नविवि/2020–02533 **दिनांक** 27 MAR 2025

–:आदेश:–

मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र शहर का नाम. ———(भवन विनियम)–2020 **के विनियम 10.10 (viii)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"(viii) विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगरीय निकाय क्षेत्रों में निम्नलिखित तालिका में वर्णित ऊंचाई (स्टील्ट सहित) से अधिक ऊंचाई (स्टील्ट सहित) के भवन मानचित्रों को अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय होगा:–

नगरीय निकाय	ऊंचाई (स्टील्ट सहित)
जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर विकास प्राधिकरण व इन शहरों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद	60 मीटर
समस्त नगर विकास न्यास व इन शहरों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद	40 मीटर
अन्य समस्त नगरीय निकाय	30 मीटर

राज्यपाल की आज्ञा से,

27/3/25

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर विकास प्राधिकरण।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी , नगरीय विकास विभाग।
10. प्रौग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

27/3/25

शासन उप सचिव–प्रथम